न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 158 / 2017

1 रविदत्त पुत्र सुरजमल आयु 70 साल जाति ब्राह्मण निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 समीना पत्नी मुन्ना खां जाति राणा मुसलमान निवासी शहीद ज्योती नगर भट्टा बस्ती जयपुर।
2 केदार पुत्र माडूराम जाति जांगिड़ निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 साफिया पत्नी उमराव
4 उकीला पुत्री उमराव
5 बेबी पुत्री उमराव
6 शकीला पुत्री उमराव
7 जमीला पुत्री उमराव
8 रमजो पुत्री उमराव
9 सबीना पुत्री उमराव
10 मुबीना पुत्री उमराव जाति राणा मुसलमान निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
11 मंगेज पुत्र गणपत
12 सुभाष पुत्र रामप्रसाद जाति जांगिड़
13 रामनारायण पुत्र दीपचन्द जाति ब्राह्मण निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 अनोपा बेवा सोम उर्फ सोहन
15 अजीज पुत्र सोम उर्फ सोहन
16 महबूब पुत्र सोम उर्फ सोहन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

17 रूकसाना पुत्री सोमा उर्फ सोहन
18 माफिया पुत्री सोमा उर्फ सोहन
19 नसीम पुत्री सोमा उर्फ सोहन
20 समरीन पुत्री सोमा उर्फ सोहन
21 समसू पुत्र बैजा
22 निजामू पुत्र बैजा
जाति राणा मुसलमान निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
23 उगन्ता पत्नी महीपाल जाति अहीर निवासी सुलताना अहिरान हाल आबाद आदर्श कॉलोनी सूरजगढ़ मोड़ श्यामबाई की जाव के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
24 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.का.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2013 न्यायालय उपपंजीयक अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी समीना बनाम केदान वगै. दावा संख्या 126/2012

उपस्थिति :

1. श्री सोनू तामड़ायत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2012 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 381, 376 हाल खसरा नम्बर 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444 वाके ग्राम अडुका का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निण्रय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त वाद दिनांक 28.03.2012 को दर्ज रजिस्ट्रर किये जाने के बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.04.2012 नियत की गई तब तक अपीलान्ट के पास कोई सम्मन वाद के नहीं गए। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के लिए कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया परन्तु प्रकरण में वादिया ने किसी सुरेश कुमार माहिच एडवोकेट से साजिश करके अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर करके वकालतनामा पेश करवा दिया तथा उक्त वकील साहब ने दिनांक 07.04.2012 को यह कहना आदेशिका में दर्ज करवाया कि प्रतिवादीगण नम्बर 13 (अपीलान्ट) जवाब पेश नहीं करना चाहता है। उसके बाद पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए साक्ष्य ये लगा दी। इस दौरन कुल 12 पेशियों में विचारण न्यायालय पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे तथा पत्रावली में निर्धारित पेशी दिनांक 26.09.2013 नियम थी परन्तु दिनांक 19.08.2013 को वादिया की ओर से प्रकरण में पत्रावली नजदीक की पेशी के लिये करने हेतु आवेदन पेश हुआ परन्तु अपीलान्ट को व उसके अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई ओर पत्रावली को दिनांक 19.08.2013 में ही लिया जाकर उसी दिन वादिया की ओर से श्री अनील मान एडवोकेट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का वकालतनामा पेश हुआ उसी दिन वादिया की साक्ष्य हेतु शपथ पत्र रिकार्ड पर लिया गया उसी दिन बहस सुनी जाकर निर्णय पारित कर दिया गया इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पत्रावली में दिनांक 19.08.2013 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वादिया/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विवादित जमीनात के हिस्सा 1/5 खातेदारी काश्तकारी घोषित कर दिया किन्तु अपने निर्णय में ये नहीं बताया कि किस सबूत व साक्ष्य के आधार पर वादिया को खातेदार घोषित किया है। विचारण न्यायालय ने ये भी दर्ज नहीं किया कि वादिया को विवादित भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई। वादिया ने अपने वादपत्र में विवादित भूमि को अपनी पैतृक भूमि बताया व अपना 1/5 हिस्सा बताया और ये भी दर्ज किया कि विवादित भूमि उसके पिता के नाम से रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 जो टिनेन्सी का आधार वर्ष में वादिया के पिता मथरा या वादिया का कही अंकन नहीं है। अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 436 रकबा 1.07, खसरा नम्बर 437 रकबा 1.16, खसरा नम्बर 443 रकबा 1.07 हैक्टेयर के हिसाब 1/2 खातेदार का काश्तकार बैजा पुत्र गणपत व उमराव पुत्र गणपत से भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय कर काबिज काश्त है। इस बाबत विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अपना कोई विवेचन नहीं किया। विवादित जमीनात पर वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है वादिया ने अपने वादपत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि अपनी भूमि हिस्सेदारान से काश्त करवाती थी इस बाबत वादिया ने यह भी लिखा है कि उसे विवादित भूमि के हिस्सा 1/5 का कब्जा दिलाया जावें। इससे यह भी साबित है कि वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कभी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं था बिना कब्जा काश्त के घोषणा का वाद कानूनी डिक्री नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का भी उक्त निर्णय पारित करते वक्त अवलोकन नहीं किया यह कि विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2013 वेग, आधारहीन व प्रर्वस होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में 16 प्रतिवादीगण थे। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पत्रावली वादी की साक्ष्य में चल रही थी। विचारण न्यायालय में विधि अनुसार वादी की साक्ष्य प्राप्त किये बिना प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना नियत तिथि से पूर्व पत्रावली में पेशी में लेकर वादी की बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय से आदेशिका में निर्णय पारित किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर